

देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 12.04.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :-

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था और पारम्परिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए।
- चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश में 13 या उससे अधिक यात्री क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य।
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में औसतन 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की, फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं।
- नैनीताल जिले में वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्रों में फायर ड्रिल की जा रही है।

मुख्यमंत्री समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था और पारम्परिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल टेस्टिंग के लिए सभी विकासखंडों में मोबाइल वॉटर टेस्टिंग लैब की स्थापना के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा पानी के सदुपयोग के लिए ग्राम स्तर पर जल समिति गठित करने और जल बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर पर शिकायतें प्राप्त होने पर उनका 24 घंटे के भीतर निवारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के जल को रोककर छोटे डैम और बैराज बनाए जाएंगे। इससे बरसात का पानी बर्बाद होने से बचेगा और गर्मियों के सीजन में जल का सदुपयोग हो जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारी तीन सप्ताह के भीतर अपने जिलों के स्थलों को चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही जिलों में सीरीज ऑफ चेक डैम बनाए जाने की भी योजना है। उन्होंने कहा पहाड़ों में अभी भी कई स्थानों पर घोड़े खच्चरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, उन स्थलों के लिए भी दीर्घकालिक योजना बनाई जाए।

चारधाम ग्रीन कार्ड

चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा रूटों पर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं के खतरे को टालने के लिए 13 या इससे अधिक यात्री क्षमता के व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है। दूसरे राज्यों के ऐसे वाहनों को 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा, जबकि उत्तराखण्ड के वाहनों के लिए पूरी यात्रा अवधि के लिए यह कार्ड मान्य होगा। इस बीच, ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। अभी 15 वाहनों के आवेदन आ चुके हैं। ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया ने बताया

कि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। इसी उद्देश्य से ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों को विभाग के तकनीकी अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चालक को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक के पास वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र, परमिट से संबंधित सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए अब हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए चालक को ऑनलाइन आवेदन कर टेस्ट देना होगा। आवेदक की पर्वतीय रूट पर ड्राइविंग में दक्षता की परीक्षा होगी और जो परीक्षा में पास होगा, उनके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट कर दिया जाएगा।

घोड़ा खच्चर परीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारियों में पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। यात्रा मार्गों पर आने वाले घोड़े-खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए श्रीनगर स्थित रोग अनुसंधान प्रयोगशाला में इनके रक्त सीरम की जांच की जा रही है, जिसमें हॉर्स फ्लू जैसी बीमारियों की जांच शामिल है। अब तक प्रयोगशाला में पांच हजार से अधिक नमूने जांच के लिए पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थस्थलों की यात्रा पैदल की जाती है, जहां तीर्थयात्रियों और सामान के परिवहन में घोड़े-खच्चरों की बड़ी भूमिका होती है। हर वर्ष हजारों की संख्या में ये पशु यात्रा मार्गों पर पहुंचते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे में पशुपालन विभाग द्वारा प्रमुख पड़ावों पर इन पशुओं की फिटनेस जांच की जा रही है। गत वर्षों में कुछ मामलों में ग्लैंडर्स और इक्विन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण सामने आए हैं, जिनसे अन्य पशुओं में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।

ग्लैंडर्स की पुष्टि होने पर संक्रमित पशु को आइसोलेट कर इच्छामृत्यु देनी होती है, जबकि हॉर्स फ्लू से संक्रमित पशु को क्वारंटीन किया जाता है और 14 दिन बाद पुनः जांच के बाद ही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है।

बिजली दर वृद्धि

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में औसतन 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 35 पैसे और 200 यूनिट से ऊपर के उपयोग पर 45 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में 35 से 42 पैसे, छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों पर 65 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

इसी तरह, सरकारी, शैक्षणिक और चिकित्सीय संस्थानों के लिए 25 किलोवाट तक 30 पैसे और उससे अधिक उपयोग पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे की वृद्धि की गई है।

फिक्स चार्ज में बदलाव केवल कृषि आधारित बड़े उद्योगों पर किया गया है, जो 75 से 100 रुपये तक होगा। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए केवल 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

वनाग्नि तैयारी

नैनीताल जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग व प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। नैनीताल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग सहित वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्रों में फायर ड्रिल की जा रही है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे गिरे सूखे पत्ते और विशेष रूप से पिरूल को नियंत्रित फुकान कर हटाया जा रहा है, ताकि आग की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही केवल मुख्य मार्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन क्षेत्रों में भी विभाग की टीम लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा वन विभाग की ओर से जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रामीणों व स्थानीय लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, ताकि वे समय रहते वनाग्नि की घटनाओं को पहचान कर विभाग को सूचित करें। विभागीय टीम जंगलों में आग पर नियंत्रण के लिए सुसज्जित उपकरणों और संसाधनों के साथ तैयार हैं। वन विभाग का लक्ष्य इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं को शून्य तक सीमित करना है। वनाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आगजनी गतिविधियों से बचें और आग लगने की स्थिति में तत्काल वन विभाग या प्रशासन को सूचित करें, ताकि वनों की जैव विविधता व संपदा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हादसा टिहरी

टिहरी जिले में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज बगवान के पास एक वाहन अलकनन्दा नदी में गिर गया। वाहन में एक ही परिवार के 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने एक महिला को रेस्क्यू कर लिया, जबकि अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। प्राप्त सूचना के अनुसार वाहन में सवार लोग पौड़ी के रहने वाले हैं, जो गौचर जा रहे थे।

दिशा बैठक

केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में बागेश्वर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों पर बैठक के नाम पर खानापूति करने पर उन्होंने जिलाधिकारी को तीनों ब्लॉक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।